

**International Journal of Advanced Research in
Education and Technology (IJARETY)**

Volume 11, Issue 1, January 2024

Impact Factor: 7.394



जिला आपदा प्रबंधन योजना: जयपुर जिले का अध्ययन

पारितोष स्वामी

शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

शोध सारांश: आपदा प्रबंधन योजना 2014, जयपुर, जिले में आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए बनाई गई है। यह योजना विभिन्न आपदाओं के प्रति तैयार रहने, प्रतिक्रिया देने और पुनर्प्राप्ति के लिए एक समग्र ढांचा प्रस्तुत करती है। योजना में आपातकालीन समर्थन कार्यों का समावेश है, जो विभिन्न एजेंसियों और संगठनों द्वारा आपात स्थितियों में किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, जिला प्रशासन ने आपातकालीन संचालन केंद्र की स्थापना की है, जो आपदा के समय त्वरित निर्णय लेने और संसाधनों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। इसके साथ ही, पूर्ववर्ती उपायों जैसे कि वर्षा रिकॉर्डिंग, खाद्य भंडारण, और कमजोर बिंदुओं की निगरानी भी शामिल है। सभी संबंधित सरकारी अधिकारियों को उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में अवगत कराया गया है, ताकि आपदा के समय प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

मूल शब्द : आपदा प्रबंधन, जयपुर, आपदा प्रबंधन योजना, प्रशासन।

I. परिचय

आपदाएँ प्रगति को बाधित करती हैं और वर्षों की मेहनत से किए गए विकास प्रयासों को नष्ट कर देती हैं, जिससे राष्ट्र कई दशकों पीछे चले जाते हैं। आपदाओं का प्रभाव विशेष रूप से विकासशील देशों पर अधिक होता है, क्योंकि उनके लिए पुनर्प्राप्ति करना कठिन होता है। इसलिए, पूर्व-आपदा प्रयास जैसे कि तैयारी, क्षमता निर्माण, जागरूकता के साथ-साथ एक प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र, पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण से जान और संपत्ति के नुकसान को कम किया जा सकता है।

भारत विभिन्न स्तरों पर प्राकृतिक और मानव-निर्मित आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। लगभग 58.6 प्रतिशत भू-भाग मध्यम से लेकर अत्यधिक तीव्रता वाले भूकंपों के प्रति संवेदनशील है 40 मिलियन हेक्टेयर से अधिक भूमि (कुल क्षेत्र का 12 प्रतिशत) बाढ़ और नदी कटाव के प्रति संवेदनशील है; 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा में से लगभग 5,700 किलोमीटर चक्रवात और सुनामी के प्रति संवेदनशील है; 68 प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्र सूखे के प्रति संवेदनशील है और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और हिमस्खलन का खतरा है। रासायनिक, जैविक, विकिरण और परमाणु मूल की आपात स्थितियों के प्रति भी संवेदनशीलता मौजूद है। देश में आपदा जोखिमों में और वृद्धि हुई है, जिसका कारण तेजी से जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में विकास, पर्यावरणीय क्षरण और जलवायु परिवर्तन है।

देश के भीतर, राजस्थान सबसे अधिक सूखाग्रस्त राज्यों में से एक है, क्योंकि यहाँ औसत वर्षा कम होती है और मानसून का व्यवहार अनिश्चित रहता है। राज्य ने हाल के वर्षों में कुछ बड़ी आपदाओं का सामना भी किया है, जैसे बाड़मेर में बाढ़ (2006), जयपुर में आईओसी डिपो में आग (2009), जोधपुर में भगदड़ (2008), जयपुर में श्रंखलाबद्ध बम धमाके (2008), और कोटा में चंबल पुल का गिरना (2009)। इसके अलावा, राज्य के कुछ हिस्से भूकंपीय क्षेत्र प्पू और ए के अंतर्गत आते हैं।

राज्य की कुल जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों का है, जिसके कारण आपदाओं के प्रति राज्य की संवेदनशीलता भी बहुत अधिक है। इन संवेदनशील समूहों में, बुजुर्ग व्यक्ति, महिलाएँ, और बच्चे-विशेष रूप से निराश्रित महिलाएँ/अनाथ बच्चे और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति अधिक जोखिम में होते हैं।

भारत सरकार ने 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया, जिसके साथ आपदा प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया, जिसमें प्रतिक्रिया और राहत केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर एक सक्रिय रोकथाम, शमन और तैयारी पर आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया ताकि विकास की उपलब्धियों को संरक्षित किया जा सके और जीवन, आजीविका, और संपत्ति के नुकसान को कम किया जा सके।

II. राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन योजना

राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन योजना (SDMP) का दृष्टिकोण 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुरूप है। यह योजना एक समग्र, सक्रिय, बहु-आपदा, बहु-क्षेत्र, बहु-हितधारक, प्रौद्योगिकी आधारित, सहभागी, गतिशील प्रक्रिया की कल्पना करती है, ताकि राजस्थान को एक सुरक्षित और आपदा-प्रतिरोधी राज्य बनाया जा सके। आपदा प्रबंधन के लिए एक समग्र, सक्रिय और लोगों-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित पर जोर दिया गया-

1. समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन, जिसमें नीति, योजनाओं और कार्यान्वयन का अंतिम चरण एकीकृत करना शामिल है।
2. सभी क्षेत्रों में क्षमता विकास।
3. अतीत की पहलों और सर्वोत्तम प्रथाओं का समेकन।
4. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एजेंसियों के साथ सहयोग।
5. बहु-क्षेत्रीय समन्वय।


राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपदा प्रबंधन के निम्नलिखित घटकों को योजना, तैयारी, परिचालन समन्वय और समुदाय की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए संबोधित किया जाए :

- रोकथाम और तैयारी की संस्कृति को बढ़ावा देना, ताकि सभी स्तरों पर आपदा प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता मिले।
- यह सुनिश्चित करना कि समुदाय आपदा प्रबंधन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण हितधारक है।
- विकासात्मक योजना प्रक्रिया में आपदा प्रबंधन चिंताओं को मुख्यधारा में लाना।
- एक सक्षम विनियामक वातावरण और अनुपालन व्यवस्था के निर्माण के लिए एक सुव्यवस्थित और संस्थागत तकनीकी-वैधानिक ढांचा स्थापित करना।
- समकालीन पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ विकसित करना, जो प्रतिक्रियाशील और फेल-सुरक्षित संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थन से समर्थित हों।
- जागरूकता बढ़ाने और क्षमता विकास में योगदान देने के लिए मीडिया के साथ एक उत्पादक साझेदारी को बढ़ावा देना।
- समाज के कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता के साथ प्रभावी प्रतिक्रिया और राहत सुनिश्चित करना।
- पुनर्निर्माण को एक अवसर के रूप में लेना ताकि आपदा-प्रतिरोधी संरचनाओं और आवासों का निर्माण किया जा सके।
- समुदाय को आपदा पूर्व स्तर से बेहतर और सुरक्षित स्तर पर लाने के लिए पुनर्प्राप्ति करना।

III. जयपुर जिला प्रोफाइल

जयपुर जिले का क्षेत्रफल 11,152 किमी है और यह उत्तर में सीकर जिले, उत्तरी-पूर्व में हरियाणा राज्य, पूर्व में अलवर और दौसा जिलों, दक्षिण-पूर्व में सवाईमाधोपुर जिले, दक्षिण में टोंक जिले, पश्चिम में अजमेर जिले और उत्तर-पश्चिम में नागौर जिले से घिरा हुआ है। जयपुर को विश्व स्तर पर भारत के गुलाबी शहर के रूप में जाना जाता है। यह शहर, जिसकी एक शानदार इतिहास है, वर्तमान में राजस्थान राज्य की राजधानी है।

2011 की जनगणना के अनुसार, जयपुर जिले की जनसंख्या 6,663,971 है, जो इसे भारत के 10वें सबसे जनसंख्याबल वाले जिले का स्थान देती है। जिले की जनसंख्या घनत्व 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और 2001-2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 26.91 प्रतिशत है। इस जिले का लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 909 महिलाएँ है और साक्षरता अनुपात 76.44 प्रतिशत है।



नक्शा 1- जयपुर जिला।

IV. जयपुर जिले में संभावित आपदाएँ

जिले में आपदाओं के पूर्व के इतिहास के अनुसार, जयपुर जिले में निम्नलिखित आपदाएँ पहचानी गई हैं-

1. रासायनिक और औद्योगिक आपदाएँ (04 तेल पाइपलाइन और 01 गैस पाइपलाइन जो जिले से गुजरती हैं)।
2. बाढ़ और जल निकासी प्रबंधन।
3. गर्मी और ठंड की लहरें।
4. बादल फटना।
5. ओलावृष्टि।
6. गरज और चमक।
7. सूखा।
8. भूकंप।
9. श्रंखलाबद्ध बम विस्फोट।
10. बांध टूटना और बांध की विफलता।
11. त्योहारों से संबंधित आपदाएँ।
12. शहरी आग।
13. तेल रिसाव।
14. गांवों में आग।
15. वन्य आग।
16. सड़क, रेल और अन्य परिवहन दुर्घटनाएँ।
17. प्रमुख भवनों का गिरना।
18. विद्युत आपदाएँ और आग।
19. जैविक आपदाएँ और महामारियाँ।
20. खाद्य विषाक्तता।
21. पशु महामारियाँ।
22. कीटों का आक्रमण।

संस्थागत प्रबंधन और जिम्मेदारियों का निर्धारण

जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (घटना कमांडर) जिले में आपदा प्रबंधन के लिए समग्र जिम्मेदारी रखते हैं। आपातकालीन स्थिति में, घटना कमांडर घटना कमांड प्रणाली को सक्रिय करता है। घटना कमांड प्रणाली के सक्रिय होने पर, आपातकालीन स्थिति के आधार पर संबंधित आपातकालीन समर्थन कार्य का उपयोग किया जाएगा।

जिला आपातकालीन संचालन केंद्र

आपातकालीन संचालन केंद्र को इस प्रकार परिभाषित किया गया है- "एक सुविधा, जो स्थिर या मोबाइल हो, जिससे सभी आपदा विरोधी संचालन या संचालन के किसी पहलू का प्रबंधन किया जाता है।"

आपातकाल या आपदा के दौरान, जिला प्रशासन संसाधनों की आवश्यकताओं को निर्धारित करने, निर्देशित करने, और समन्वयित करने के लिए तात्कालिक और उचित कार्रवाई करेगा। जिला प्रशासन सामान्य कार्यों को निलंबित या रद्द करेगा और जीवन बचाने, मानव पीड़ा को कम करने, जीवित बचे लोगों का समर्थन करने, संपत्ति की सुरक्षा करने और आवश्यक सुविधाओं की मरम्मत के लिए संसाधनों को पुनः निर्देशित करेगा।

जिला प्रशासन की भूमिका

किसी भी आपदा की आशंका में, जिला प्रशासन ने विभिन्न पूर्ववर्ती उपाय किए हैं। आपातकालीन संचालन केंद्र का संचालन, नदियों और बांधों/अनिकटों की पुरानी दरारों को बंद करना और कमजोर बिंदुओं की निगरानी, वर्षा रिकॉर्ड करना और वर्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, गेज रीडिंग का संचार, बिजली/देशी नावों की तैनाती, अस्थायी टेशनों की स्थापना, टेलीफोन लाइनों और नेटवर्किंग को व्यवस्थित रखना, खाद्य सामग्री का भंडारण, नालियों को साफ रखने की व्यवस्था, कृषि/स्वास्थ्य/पशु चिकित्सा उपाय, बाढ़/भूकंप शरण स्थलों का चयन, आदि की उचित योजना बनाई गई है।

विभिन्न विभागों के सरकारी अधिकारियों को आपदा से पहले, दौरान और बाद में अपनी जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी गई है। जिला राजस्व अधिकारी, पुलिस, नगर निगम, जल संसाधन, स्वास्थ्य, पशुपालन, अग्नि और नागरिक रक्षा आदि को सभी पूर्ववर्ती और तैयारी के उपाय करने और किसी भी आपदा की चुनौती का सामना करने के लिए सतर्क रहने के लिए कहा गया है। अन्य सरकारी अधिकारियों को भी आपदा से पहले की व्यवस्था और आपदा प्रबंधन के दौरान ध्वाड़ में निर्भाई जाने वाली भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी गई है।

आपातकाल या आपदा के दौरान, जिला प्रशासन संसाधनों की आवश्यकताओं को निर्धारित करने, निर्देशित करने, संचालित करने और समन्वयित करने के लिए तात्कालिक और उचित कार्रवाई करेगा। जिला प्रशासन सामान्य संचालन को निलंबित या रद्द करेगा और जीवन बचाने, मानव पीड़ा को कम करने, जीवित बचे लोगों का समर्थन करने, संपत्ति की सुरक्षा करने और आवश्यक सुविधाओं की मरम्मत के लिए संसाधनों को पुनः निर्देशित करेगा।

जिला आपातकालीन संचालन केंद्र की आवश्यकता-

संचालन केंद्रों की स्थापना घटनाओं, प्रमुख घटनाओं, आपात स्थितियों या आपदाओं के जवाब में की जा सकती है, ताकि संसाधनों की तैनाती पर त्वरित निर्णय लेने के लिए कार्रवाई को नियंत्रित और समन्वयित किया जा सके। यह एक योजनाबद्ध मुख्यालय है -

(क) परामर्श के लिए एक बैठक स्थल प्रदान करने के लिए।

(ख) महत्वपूर्ण जानकारी तक त्वरित पहुँच प्राप्त करने के लिए।

(ग) आदेशों/जानकारी प्राप्त करने के सभी साधनों को रखने के लिए।

जिला आपातकालीन संचालन केंद्र का कार्य

जिला प्रशासन ने एक आपातकालीन संचालन केंद्र/जिला नियंत्रण कक्ष को डिजाइन, निर्माण, उपकरण और स्टाफ किया है, जिससे सभी आपातकालीन गतिविधियों का प्रबंधन किया जाएगा। जिला नियंत्रण कक्ष/आपातकालीन संचालन केंद्र राज्य के आपातकालीन संचालन केंद्र के साथ आपात स्थितियों और आपदाओं में निकट सहयोग सुनिश्चित करने के लिए संवाद करेगा। जिला आपातकालीन संचालन केंद्र जयपुर कलेक्टर भवन में चौबीसों घंटे कार्यरत है। आपातकालीन संचालन केंद्र के टेलीफोन नंबर हैं: 2204475, 5165265 और टोल-फ्री नंबर है 10771।

V. निष्कर्ष

आपदा प्रबंधन योजना इस सिद्धांत पर आधारित है कि आपातकालीन संचालन के दौरान विभिन्न एजेंसियों और संगठनों द्वारा किए जाने वाले आपातकालीन समर्थन कार्य आमतौर पर उनके सामान्य दिन-प्रतिदिन के कार्यों के समान होते हैं। दोनों मामलों में वही कर्मचारी और सामग्री संसाधन उपयोग किए जाएंगे। ऐसे दिन-प्रतिदिन के कार्य और संचालन जो आपात स्थिति में सीधे योगदान नहीं देते, उन्हें किसी भी आपातकाल या आपदा के दौरान निलंबित या पुनः निर्देशित किया जा सकता है, और सामान्यतः जिन कार्यों को उन कार्यों को सौंपा जाता है, वे आपातकालीन और आपदा की ओर अग्रसर होंगे जैसे कि निर्धारित किया गया है।

सन्दर्भ सूची

1. राजस्थान सरकार। "जिला आपदा प्रबंधन योजना, जयपुर।" राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, 2014।
2. गृह मंत्रालय, भारत सरकार। "आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005।" नई दिल्ली : भारत सरकार, 2005।
3. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। "राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देश।" नई दिल्ली : 2007।
4. राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। "वार्षिक रिपोर्ट 2014-15।" जयपुर : राजस्थान सरकार, 2015।
5. जिला प्रशासन, जयपुर। "आपातकालीन संचालन केंद्र संचालन।"



International Journal of Advanced Research in Education and Technology (IJARETY)